प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.06.2026

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में संचालित "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के अंतर्गत आज थाना लोनी क्षेत्र में अपराधियों / हिस्ट्रीशीटरो के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

श्री जे. रविन्दर गौड पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में संचालित "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के अंतर्गत श्री केशव कुमार चौधरी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय के पर्यवेक्षण तथा श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण के नेतृत्व में सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ टीमें गठित कर **यक्ष एप पर पंजीकृत अपराधियों के सत्यापन** के विषय में आज दिनांक 06.06.2026 को थाना लोनी क्षेत्र में अपराधियों के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया गया जिसके तहत **978** अपराधियों का भौतिक सत्यापन किया गया। अबतक अभियान के अन्तर्गत थाना लोनी क्षेत्र में **2049** अपराधियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। इसी क्रम में पुलिस द्वारा विभिन्न अपराधियों का सत्यापन किया गया। अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना तथा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना रहा।

अभियान की प्रमुख कार्यवाहीः-

- थाना लोनी पर पंजीकृत लूट, हत्या, स्नैचिंग एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधियों का विशेष स्वसत्यापन किया गया
- संबंधित अपराधियों के वर्तमान निवास स्थान, रोजगार, गतिविधियों एवं अन्य आवश्यक विवरणों का सत्यापन किया गया।
- पूर्व से शरीर एवं संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त रहे अपराधियों की वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा कर उन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की गई।
- सत्यापन के उपरांत सभी अपराधियों को भविष्य में किसी भी प्रकार का अपराध न करने तथा अवैध गतिविधियों से दूर रहने हेतु निर्देशित किया गया।
- अपराधियों को आमजन में भय अथवा असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न न करने तथा कानून का पूर्णतः पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

सभी सत्यापित अपराधियों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक अथवा अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस का संदेशः-

शासन की मंशा के अनुरूप थाना लोनी क्षेत्र में पुलिस शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अपराधियों की निगरानी, सत्यापन एवं अपराध नियंत्रण हेतु ऐसे विशेष अभियान भविष्य में भी निरंतर संचालित किए जाते रहेंगे, जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हो तथा अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

दिनांक 30.05.2026 को थाना लोनी पर वादी सुरेन्द्र पुत्र राममहर निवासी ग्राम गनोली थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 30.05.2026 को अभियुक्त 1. गौरव पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम गनौली 2. सौरभ उर्फ भोला पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम गनौली 3. गोपाल पुत्र रमेश निवासी ग्राम गनौली 4. गौरव निवासी बादलपुर गौतमबुद्धनगर 5. मोहित पुत्र मुकुट पंडित निवासी ग्राम गनौली व अन्य द्वारा गोली मारकर अपहरण कर गाडी में जबरन डाल कर अपने साथ ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 109(1)/140(3)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत मु0अ0स0152/2026 पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु कई पुलिस टीमें का गठन किया गया तत्पश्चात वांछित अभियुक्तगण 1. गौरव पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम गनौली 2. सौरभ उर्फ भोला पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम गनौली 3. गोपाल पुत्र रमेश निवासी ग्राम गनौली 4. गौरव निवासी बादलपुर गौतमबुद्धनगर 5. मोहित पुत्र मुकुट पंडित निवासी ग्राम गनौली की गिरफ्तारी के प्रयास किये गये तथा अभियुक्तगण पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 05.06.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित/नामित 50 हजार रु0 का इनामी अभियुक्त 1.मोहित पुत्र मुकुट पंडित निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष तथा उपरोक्त अभियोग में वांछित/नामित 50 हजार रु0 का इनामी अभियुक्त गौरव पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम गनौली उम्र करीब 28 वर्ष को (पुलिस मुठभेड के दौरान) गिरफ्तार किया जा चुका है। विवेचना के क्रम में वांछित अभियुक्तगण को संरक्षण देने व आपराधिक षड़यन्त्र में संलिप्त 1. विपिन पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम मसौटा थाना सिकन्दराबाद जनपद गौतमबुद्ध नगर 2. प्रदीप पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम माधोगढी थाना सिकन्द्राबाद जिला गौतमबुद्ध नगर व 3. लोकेश पुत्र राकेश निवासी ग्राम चिटी थाना दनकौर जिला गौतमबुद्ध नगर 4. जितेन्द्र भाटी पुत्र खेमचंद्र निवासी ग्राम चिटी थाना दनकौर जिला गौतमबुद्ध नगर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। **प्रकरण में अब तक कुल 28 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा चुकी है।**

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारी विपक्षीगण से पुरानी रंजिश चली आ रही है जिसके कारण विपक्षीगण से रंजिश का बदला लेने के लिए आपराधिक षडयन्त्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.विपिन पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम मसौटा थाना सिकन्दराबाद जनपद गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 28 वर्ष
।

2.प्रदीप पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम माधोगढी थाना सिकन्द्राबाद जिला गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 24 वर्ष
।

3. लोकेश पुत्र राकेश निवासी ग्राम चिटी थाना दनकौर जिला गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 26 वर्ष।

4.जितेन्द्र भाटी पुत्र खेमचंद्र निवासी ग्राम चिटी थाना दनकौर जिला गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 40 वर्ष
।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.06.2026 को थाना मुरादनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त अजान उर्फ अज्जु पुत्र सोनू अल्ताफ निवासी आदर्श कॉलोनी थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा वादिया जब 15 वर्ष की थी तब से झांसा देकर शारीरिक शोषण करना तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 69/351(3) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 06.06.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अजान पुत्र सोनू अल्ताफ निवासी आदर्श कालोनी थाना मुरादनगर गाजियाबाद को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं और पीड़िता एक दूसरे को कई वर्षों से जानते थे तथा आपस में बातचीत करते थे। मैंने पीडिता को झांसे में लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये थे तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

अजान उर्फ अज्जु पुत्र सोनू अल्ताफ निवासी आदर्श कालोनी थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।